



2026:AHC:55752

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन (U/S 482 बीएनएसएस) संख्या - 1011 वर्ष

2026

अमित निगम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिपक्ष

---

आवेदक के अधिवक्ता

: अनुज श्रीवास्तव

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: राहुल श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल,

1. सूची संशोधित की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज श्रीवास्तव, सी.बी.आई./विपक्षी संख्या 2 के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री राहुल श्रीवास्तव, राज्य/विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 श्री अजय सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक अमित निगम द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत, केस अपराध संख्या RC1202022A0015 (सी.बी.आई. बनाम अमित निगम एवं अन्य), धारा 109 आई.पी.सी. और धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मूल अपराधों के संबंध में, थाना- सी.बी.आई./ए.सी.बी. , जनपद गाजियाबाद में विचारण के समापन तक, गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. इस अग्रिम जमानत आवेदन की पूर्व सूचना सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में तामील करा दी गई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय XVIII, नियम 18 के अनुसार तथा इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन (धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता) संख्या 8072 वर्ष 2020, गोविंद मिश्रा उर्फ छोटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 20.11.2020 को दिए गए निर्देश के अनुसार, इस अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की जा रही है। धारा 438(3) दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) के अनुसार विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को और अधिक समय दिया जाना आवश्यक नहीं है।
5. वर्तमान मामला एक प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने 01.01.2008 से 30.06.2018 की जाँच अवधि के दौरान एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लोक सेवक रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उक्त संपत्ति का मूल्यांकन ₹7,52,61,831 आय से अधिक होने के रूप में किया गया है और आय से अधिक संपत्ति का प्रतिशत 86.80% आता है, जिसके बारे में यह राय व्यक्त की गई कि वह (आवेदक) इसका संतोषजनक विवरण देने में असमर्थ रहा। मामले में विवेचना संपन्न हुई और दिनांक 30.06.2025 को आरोप पत्र संख्या 07 प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 109 सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) तथा धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) के तहत मूल अपराधों के लिए; आवेदक की पत्नी श्रीमती डॉली कुमारी के विरुद्ध धारा 109 आई.पी.सी. सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) के लिए; और आवेदक की माता श्रीमती उमा निगम के विरुद्ध धारा 109 आई.पी.सी. सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) के अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण), सी.बी.आई., न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद ने आदेश दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से उक्त (आरोप पत्र) पर संज्ञान लिया और आवेदक को धारा 109 आई.पी.सी. सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) तथा धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) के तहत मूल अपराधों के लिए समन जारी किया; और इसके अतिरिक्त सह-अभियुक्तों श्रीमती डॉली कुमारी और श्रीमती उमा निगम को धारा 109 आई.पी.सी. सहपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(e) के अपराधों के लिए समन किया। तदनुसार, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण), सी.बी.आई., न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2026 के

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



माध्यम से आवेदक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के पश्चात, आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन (उच्च न्यायालय में) दायर किया गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक एक लोक सेवक है। इस अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के पैरा-42 का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का 26 वर्षों का कार्यकाल बेदाग रहा है और वर्तमान मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह निवेदन है कि जाँच के दौरान आवेदक ने जाँच में सहयोग किया और सी.बी.आई द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। यह निवेदन है कि उक्त तथ्य का उल्लेख सी.बी.आई के जवाबी हलफनामे के पैरा 20, 32, 34 और 40 में भी किया गया है। यह निवेदन है कि अब, जबकि आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, उसे यह आशंका है कि जब वह संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। निवेदन है कि सह-आरोपी श्रीमती डॉली कुमारी और श्रीमती उमा निगम को संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2026 के आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः निवेदन है कि अग्रिम जमानत के इस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह वचन देते हैं कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होंगे और कभी भी कोई अनुचित स्थगन नहीं मांगेंगे।

7. इसके विपरीत, सी.बी.आई के विद्वान वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और यह दलील दी कि जहाँ तक आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका का सवाल है, अब जाँच पूरी हो चुकी है; इसलिए, उसे गिरफ्तार करना अब जाँच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह निवेदन किया गया है कि अब यह मामला संबंधित न्यायालय के समक्ष

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



है, और जब भी आवेदक समन आदेश के अनुपालन में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, तब उचित आदेश पारित करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। यह निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि आवेदक को जाँच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी का कोई अंदेशा नहीं है। इस संबंध में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 'आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका, धारा 482 बीएनएसएस के तहत, संख्या 4464/2025, दिनांक 01.08.2025 को निस्तारित) मामले में व्यक्त किए गए मत पर भरोसा किया गया है।

8. माननीय सरकारी वकील ने भी, सी.बी.आई. के माननीय वकील के तर्कों को अपनाया।
9. सरकारी सेवक है। एक विशिष्ट जाँच अवधि के लिए आय से अधिक संपत्ति के संबंध में विवेचना की गई थी, जिसके बाद उसके और दो अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया गया है, जिसके फलस्वरूप संबंधित न्यायालय द्वारा उसे दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ समन जारी किया गया है। उक्त दो सह-अभियुक्तों, श्रीमती डॉली कुमारी और श्रीमती उमा निगम को संबंधित न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला यह है कि विवेचना के दौरान उसे सी.बी.आई./जाँच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसने इसमें सहयोग किया था। अब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लिया है और आवेदक तथा अन्य दो अभियुक्तों को समन जारी किया है, इसलिए उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर गिरफ्तारी की आशंका है। चूँकि विवेचना के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया था

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



और विवेचना के दौरान उसके सहयोग न करने का कोई विशिष्ट मामला नहीं है, अतः इस स्तर पर उसकी गिरफ्तारी आवश्यक प्रतीत नहीं होती है।

10. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आरोप की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आवेदक इस मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11. यदि आवेदक अमित निगम, वाद अपराध संख्या RC1202022A0015 (सी.बी.आई. बनाम अमित निगम एवं अन्य), धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(e) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं मूल अपराध धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(e) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना-सी.बी.आई./ए.सी.बी., जनपद-गाजियाबाद में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 50,000/- रुपये के निजी मुचलके तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और इस आदेश के अनुपालन के लिए इसकी प्रमाणित प्रति दाखिल करेगा।

(ii) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्धारित प्रत्येक तारीख पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो वह उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा कर देगा।
12. यदि आवेदक विचारण की कार्यवाही में सहयोग नहीं करता है, तो यह आदेश स्वतः ही वापस/रद्द माना जाएगा और आवेदक को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा।
13. इसके अतिरिक्त, किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय उन शर्तों को लागू करने और उनका पालन करवाने के लिए उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है।
14. यदि किसी भी तारीख को आवेदक अनुचित स्थगन की मांग करता है और इस न्यायालय के समक्ष दिए गए वचनों का उल्लंघन करता है, तो C.B.I. जमानत रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी।
15. संबंधित न्यायालय, आवेदक की इस अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते और निर्णय देते समय, इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।
16. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण किया जाता है।
17. यदि कोई अन्य लंबित आवेदन हैं, तो उनका भी निस्तारण किया जाता है।

दिनांक: 18 मार्च, 2026

नरेश

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।